



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-2571/खा०ग्रा०बो०/समन्वय/खादी नीति/2025-26, दिनांक 23.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति मद में प्रावधानित धनराशि ₹0 1245.00 लाख (₹0 बारह करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-38/2025/325/59-2-2025/001-1823328, दिनांक 05 अगस्त, 2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि ₹0 311.25 लाख (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि ₹0 933.75 लाख (रुपये नौ करोड़ तैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) में से द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 311.25 लाख (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तरदायी होगा।
 - (7) सोलर चर्खों एवं टूल-किट्स का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर उपकरण उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रय की कार्यवाही नियमानुसार ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग द्वारा की जायेगी।
 - (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के पत्र संख्या-331/59-2-2025/ई-1823328, दिनांक 05 अगस्त, 2025 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा।
 - (9) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एवं ऑडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट ऑडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,11,25,000 (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 005 लेखा शीर्षक 2851001052900 खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-145-X-2025-26, दिनांक 13.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2026/50(1)/59-2-2026/002-1823328 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।